आवश्यक

संख्या: 03/2021/72/26-3-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांकः 07 जनवरी, 2021

विषय-उ0प्र0 राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-197/2019/3837/26-3-2019 दिनांक 02.09.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा प्रदेश व प्रदेश से बाहर की सेवाओं हेतु मांगे जाने पर अंग्रेजी प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कतिपय जनपदों में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर जनपद के सक्षम अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा (भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर) में जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत नहीं किए जा रहे हैं।

3- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "1984(6) एस0सी0सी0 241, कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल" में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02 सितम्बर,1994 को पारित निर्णय में Castes and sub-castes, tribe, tribal community, parts or groups of tribes or tribal communities, के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को (The place from which he originally hails) उसके मूल निवास से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिये गये है तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या-2884(एम0बी0) आफ 1995- डा0 आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हुए शासनादेश सं0-22/16/92-का-2/1996-टी0सी0-III दिनांक 5 जनवरी 1996 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-292 सी0एम0/26-3-2017 दिनांक 08.11.2017 निर्गत किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण व जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये है:-

(1) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत/अन्तरित किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो। सम्बन्धित अभ्यर्थी के वयस्क होने पर

आवेदन पत्र उसके द्वारा तथा अवयस्क होने पर उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय-समुदाय या जनजातीय-समुदाय के वर्ग या भाग व मूल निवास, आदि से सम्बन्धित विवरण राजपत्रित अधिकारी/स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जाति (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति) का जाति प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल कर सत्यापन उपरान्त, उपलब्ध कराया जायेगा।

4- अतः उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर अंग्रेजी भाषा (भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर) में उक्त प्रक्रियानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

पृ0सं0-03/2021/72(1)/26-3-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

3-निदेशक, समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास, उ0प्र0।

4-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

5-निदेशक, उ0प्र0 पंचायतराज विभाग, उ0प्र0।

6-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

बी.एल. मीणा
प्रमुख सचिव।